मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0, लखनऊ

टावर 2, प्रथम तल, शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार

पत्र संख्या: डीजी–14–ज0सू0अ0–पुलिस बेबसाइट/2020 दिनांक : दिसम्बर 14 ,2020

NR-48

सेवा में,

1. **समस्त विभागाध्यक्ष,**
   पुलिस विभाग, उ0प्र0।

2. **समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक,**
   उत्तर प्रदेश।

विषय :–जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4(1)बी के अन्र्तगत 16 श्रेणीयो की सूचनाओं को विभागीय बेवसाइट पर अद्यावधिक अपलोड रखे जाने के सम्बन्ध में ।

कृपया अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस तकनीकी सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या टीएससी–142/2012(ix) 6361 दिनांक 02.12.20 के साथ संलग्न विशेष सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग 15 उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र संख्या 1014/6–पु0– 15/ 2020 का अवलोकन करने का कष्ट करे, जो अपने अधीनस्थ जनपदो/इकाईयो की सूचना विभागीय बेवसाइट पर अद्यावधिक अपलोड किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

निदेशानुसार अनुरोध है कि जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 की धारा 4(1)बी में प्रदत्त 16 श्रेणियों(संलग्नक) की सूचनओं को विभागीय बेवसाइट पर अद्यावधिक अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में अपने–अपने अधीनस्थ जनपदो/इकाईयो को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करे।

संलग्नक:यथोपरि ।

14.12

जनसूचना अधिकारी,
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ।

महत्वपूर्ण / ईमेल

पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, उत्तर प्रदेश

8वाँ तल, टावर-4, पुलिस मुख्यालय, अमर शहीद पथ, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ – 226002

:e- **mail** : tshq@up.nic.in, uppcc-up@nic.in

पत्र संख्या : टीएससी–142 / 2012 (IX) दिनांक : दिसम्बर ,2020

सेवा में

पुलिस महानिदेशक / अपर पुलिस महानिदेशक
पुलिस मुख्यालय / लोक–शिकायत / रेलवे / भ्रष्टाचार निवारण संगठन / आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग / एसआईटी / सीबीसीआईडी / विशेष जांच / यातयात निदेशालय / पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय / पुलिस रेडियो मुख्यालय / पीएसी मुख्यालय / महिला सम्मान प्रकोष्ठ / वीमेन पावर लाइन / आईटैक्स (112 मुख्यालय) / फायर सर्विस / पुलिस मानवाधिकार / पुलिस भर्ती बोर्ड लखनऊ / सतर्कता अधिष्ठान / तकनीकी सेवायें लखनऊ।

अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक
समस्त जोन / परिक्षेत्र / पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक
समस्त जनपद उ0प्र0, एससीआरबी / एफपीबी।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)बी के अन्तर्गत 16 श्रेणियों की सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर अद्यावधिक अपलोड रखे जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक **संलग्न** विशेष सचिव, गृह अनुभाग–15, उ0प्र0 शासन के **पत्र सं0 1014 / 6–पु0:15 / 2020 दिनांक 20.11.2020** एवं श्री जितेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के **पत्र सं0 307–43–2–2020 दिनांक 22.10.2020** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रत्येक विभाग को **सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)बी के अन्तर्गत 16 श्रेणियों** से सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन बनवाकर **विभागीय वेबसाइट** पर प्रदर्शित रखे जाने की अनवार्यता एवं मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका के कारण अपेक्षा की गई है।

आप अवगत ही हैं कि उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर आपकी इकाई के समस्त मेन्यू की सूचनाओं को अपलोड किये जाने का कार्य नामित **नोडल वेबसाइट ऑपरेटर** कर रहे हैं। आपकी इकाई से सम्बन्धित सूचनाओं के सम्बन्ध में **प्रत्येक पक्ष में** वेबसाइट अपडेशन रिपोर्ट भी आपके अवलोकनार्थ अधिकारिक ईमेल पर भेजी जाती है। उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट **https://uppolice.gov.in/** के मुख्य पेज पर **About Us-Right to Information** मेन्यू लिंक पर समस्त **शासनादेश, प्रारूप एवं आपके स्तर से अपलोड सूचना** देखी जा सकती हैं।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)बी में प्रदत्त 16 श्रेणियों **(संलग्नक)** की सूचनाओं के संकलन को, प्रत्येक इकाई द्वारा निरंतर अपडेट कर **विभागीय वेबसाइट** पर प्रदर्शित रखना **अनिवार्य** है।

अतः अनुरोध है कि, आप अपने **जनपद / इकाई की पुलिस वेबसाइट पर अपलोड सूचना का पुनः अवलोकन कर लें** एवं **सूचना के अधिकार एवं उक्त शासनादेश के आलोक** में **धारा 4(1)b के अनुरूप** सूचनाओं का **संकलन / मैनुअल** वेबसाइट पर **अपलोड / अपडेट** कराये जाने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

07/12/2020

(संदीप सालुंके)
अपर पुलिस महानिदेशक
पुलिस तकनीकी सेवायें
लखनऊ

प्रतिलिपिः अपर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक के जीएसओ को सूचनार्थ एवं उनके स्तर से भी निर्देश जारी किये जाने के उद्देश्य से प्रेषित ।

अध्याय-2

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

3. सूचना का अधिकार- इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

4. लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं- (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी-

(क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिये समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए, कंप्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुँच को सुकर बनाया जा सके;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर-

I) अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य;

II) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य;

III) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;

IV) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मानदंड;

V) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;

VI) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण;

VII) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं;

VIII) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण;

IX) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;

X) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो;

XI) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां, उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट;

XII) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं;

XIII) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां;

XIV) किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों;

XV) सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं;

XVI) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;

XVII) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा;

संख्या 1014/ह-पु0-15/2020 (3Q)

संख्या– 307 /43–2–2020

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 22 अक्टूबर, 2020

विषयः–सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत उल्लिखित सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 के पत्र संख्याः–219/43–2–2019, दिनांक 29 नवम्बर, 2019 तथा पत्र संख्याः–74/43– 2–2020, दिनांक 29 मई, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उपर्युक्त पत्रों में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समस्त विभागों की विभागीय वेबसाइटों का अवलोकन करते हुये ये निर्देश दिए गए थे कि प्रत्येक विभाग अपनी विभागीय वेबसाइट का अवलोकन/निरीक्षण करते हुये सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत अद्यावधिक सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट में **"सूचना का अधिकार"** शीर्षक के अन्तर्गत शीघ्रातिशीघ्र अपलोड कराते हुये उसका विवरण प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराए। अधिकांश विभागों द्वारा विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन सूचना नहीं अपलोड करायी गयी है। इस सम्बन्ध में **मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक रिट याचिका (संख्याः–WRIC-14105/2020) भी दायर की गई है जिसमें राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय को प्रगति से अवगत कराया जाना है।**

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपनी विभागीय वेबसाइट का अवलोकन/निरीक्षण करते हुये अपनी तथा अपने अधीन लोक प्राधिकरणों की अद्यावधिक सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट में **'सूचना का अधिकार'** शीर्षक के अन्तर्गत शीघ्रातिशीघ्र अपलोड कराते हुए इसकी सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

3382/HS(T)/2020
VS(SPU)
23-10-2020
(तरुण गाबा)
सचिव,
गृह विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

B(MPB)/P-15
28/10/20
(एस0 पी0 उपाध्याय)
विशेष सचिव
गृह विभाग
उ0 प्र0 शासन।

US/P-15
26/X/20
(महेन्द्र प्रसाद भारती)
संयुक्त सचिव,
गृह विभाग
शासन।

P-15

फैक्स/ महत्वपूर्ण

संख्या-1014 /6-पु0-15/2020

प्रेषक,

एस0पी0 उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
तकनीकी सेवाएं
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह(पुलिस) अनुभाग-15

लखनऊ दिनांक 20 नवम्बर ~~फरवरी~~ 2020

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत उल्लिखित सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट का निरीक्षण कर अद्यावधिक सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट में "सूचना का अधिकार" शीर्षक के अन्तर्गत अपलोड किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2 के पत्र संख्या 307/43-2-19 दिनांक 22.10.2020 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा विभागीय वेबसाइट का निरीक्षण / अवलोकन करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत अद्यावधिक सूचनाओं को वेबसाइट में "सूचना का अधिकार" शीर्षक के अन्तर्गत अपलोड कर प्रशासनिक सुधार विभाग को सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या0- 108 /6 -पु- 15 / 2020 दिनाँक 17.02.2020 व्दारा प्रशासनिक सुधार अनुभाग- 2 के पत्र संख्या 219/43-2-19 दिनांक 29-11-2019 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत उल्लिखित सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट का निरीक्षण कर अद्यावधिक सूचनाओं को वेबसाइट में सूचना का अधिकार शीर्षक के अन्तर्गत अपलोड कराकर सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग एवं अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं, परन्तु अपेक्षित सूचना / आख्या अभी तक प्राप्त नही हुई है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपनी विभागीय वेबसाइट का अवलोकन / निरीक्षण करते हुए अपनी तथा अपने अधीन लोक प्राधिकरणों की अद्यावधिक सूचनाओं को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(बी) के अन्तर्गत विभागीय वेबसाइट में "सूचना का अधिकार" शीर्षक के अन्तर्गत तत्काल अपलोड कराकर इसकी सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग एवं शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय

(एस0पी0 उपाध्याय)
विशेष सचिव।

संख्या-1014(1)/6-पु0-15/2020 तकदिनांक

प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
संयुक्त सचिव।

ADG(T/S)

DGP
20/11/2020
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

SO ADG CA
Dict pl.

अपर पुलिस महानिदेशक
तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश
23/11/20